पत्रांक – 9/विविध–05/2024....................

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
बिहार।

पटना, दिनांक –

विषय : शिक्षा विभाग की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्रों एवं अभिभावकों को जानकारी प्रदान करने हेतु 'शिक्षा संवाद' कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि शिक्षा विभाग की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र–छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को समुचित जानकारी नहीं रहने की स्थिति में आए दिन उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने में उन्हें असुविधा होती है तथा कभी–कभी उन्हें उन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाने की भी संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि शिक्षा विभाग की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र–छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को समुचित जानकारी प्रदान की जाए। इस संबंध में आपके द्वारा जिला में पूर्व से संचालित 'जन सम्वाद' कार्यक्रम की तर्ज पर 'शिक्षा सम्वाद' आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

2. शिक्षा संवाद आयोजित करने के संबंध में आपके स्तर से निम्नलिखित कार्रवाईयाँ निर्धारित समय–सीमा को ध्यान में रखते हुए पुरी करनी होगी। इस संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए :–

I. शिक्षा–सम्वाद कार्यक्रम जिला के सभी माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा।

II. जिले के सभी माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस बैठक का आयोजन दिनांक – 15.01.2024 से अगले एक सप्ताह के बीच किया जाएगा।

III. सभी माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आच्छादित करने के उद्देश्य से निर्धारित अवधि के बीच में एक कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि निर्धारित अवधि में सभी माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय आच्छादित हो

जाए। आवश्यकता हो तो एक दिन में दोनों पालियों में बैठक आयोजित की जा सकती है।

IV. प्रत्येक विद्यालय स्तर पर ऐसी बैठकें जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की अगुवाई में शिक्षा विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी।

V. बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा छात्र/छात्राओं एवं अभिभावकों को शिक्षा विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी एवं इस संबंध में उनका फीड–बैक प्राप्त किया जाएगा।

VI. बैठक के लिए प्रतिनियुक्त होने वाले पदाधिकारियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण/जानकारी दी जाएगी ताकि वे शिक्षा विभागीय एवं अन्य योजनाओं से अवगत हो जाएँ ताकि 'शिक्षा–सम्वाद' बैठक में उन्हें कोई असुविधा न हो।

VII. विद्यालयवार बैठक की तिथि निर्धारित कर बैठक जहाँ पर आयोजित होंगे उस विद्यालय के क्षेत्र में इसका प्रचार–प्रसार कराया जाए ताकि लोगों की सहभागिता हो सके। बैठक में अभिभावकों के साथ अन्य ग्रामीण भी भाग ले सकते हैं।

VIII. बैठक में प्राप्त होने वाले सुझावों का दस्तावेजीकरण कराया जाए एवं आवश्यकता अनुसार जिस स्तर से उसमें कार्रवाई की आवश्यकता हो वहाँ इसकी सूचना भेज दी जाए।

3. 'शिक्षा संवाद' कार्यक्रम का लगातार अनुश्रवण प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाता रहेगा एवं उनके द्वारा भी अपनी सुविधानुसार आयोजित हो रहे 'शिक्षा संवाद' में भाग भी लिया जाएगा। अनुश्रवण की कार्रवाई के उपरांत जिला पदाधिकारी के द्वारा संलग्न विहित प्रपत्र (अनुलग्नक – 'क') में 'शिक्षा संवाद' आयोजित करने के बिन्दु पर दैनिक प्रतिवेदन शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

4. शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का नीचे उल्लेख किया जा रहा है, जिसकी चर्चा ''जन संवाद' कार्यक्रम में किया जाएगा :

I. मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना,

II. मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना,

III. मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना,

IV. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना

(क) माध्यमिक स्तर, (ख) उच्च माध्यमिक स्तर, (ग) स्नातक स्तर

V. बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना,

VI. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन / छात्रवृत्ति योजना,

VII. प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना,

VIII. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना,

IX. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

5. शिक्षा विभाग की उपर अंकित योजनाओं के साथ ही 'शिक्षा संवाद' कार्यक्रम में अन्य विभागों की महत्वपूर्ण योजनाएँ, यथा– श्रम संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग आदि की फ्लैगशीप योजनाओं की चर्चा भी की जाएगी ताकि छात्रों के साथ उपस्थित उनके अभिभावकों को उन योजनाओं से परिचित कराया जा सके। इस संबंध में जिला पदाधिकारी के स्तर पर योजनाओं की समेकित सूची तैयार की जाएगी।

6. माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित होने वाले 'शिक्षा संवाद' कार्यक्रम के आयोजन हेतु समुचित तरीके से तैयारी की जाए एवं इसमें होने वाले व्यय के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जिलों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 'शिक्षा संवाद' कार्यक्रम के लिए विडियो क्लिप सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी।

7. 'शिक्षा संवाद' का यह कार्यक्रम निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाना है। अतः दिनांक 15.01.2024 से एक सप्ताह के अन्दर में जिले के सभी माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 'शिक्षा संवाद' कार्यक्रम आयोजित करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(आमिर सुबहानी)

मुख्य सचिव

ज्ञापांक – 9 / विविध–05 / 2024 83, पटना, दिनांक – 09-01-24

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

शिक्षा विभाग 9/1/2024

अनुलग्नक – 'क'

'शिक्षा संवाद' कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में दैनिक प्रतिवेदन

प्रतिवेदन की तिथि-

जिला का नाम	जिला में कुल माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	प्रतिवेदन तिथि को आयोजित होने वाले 'शिक्षा संवाद' कार्यक्रम स्थल का नाम	'शिक्षा संवाद' कार्यक्रम आयोजन की तिथि एवं पाली	प्रतिवेदन तिथि के पूर्व तक आयोजित 'शिक्षा संवाद' कार्यक्रम की संख्या	'शिक्षा संवाद' कार्यक्रम में विद्यालयवार भाग लेने वाले वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों का पदनाम	अभ्युक्ति